तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप0। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का मुंगेरिया, भु– अभिलेख निरीक्षक– शिव तह0 शिव के खसरा नम्बर 261 रकबा 148.04 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर लेते है। तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 16 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे। विप्रार्थी संख्या 09 से 11 व 4 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। शेष विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 8 व 12 से 16 बावजुद सुचना अनु0। अतः सी.पी.सी.Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण को सम्मन तामील हो गए है। नोटिस तामील होने के बावजूद विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 8 व 12 से 16 बावजुद सुचना अनु0। अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 8 व 12 से 16 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया साथ ही विप्रार्थी अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह सियाग ने अपनी बहस में बताया की मौके पर विवाद ज्यादा है तथा विप्रार्थीगण खेत प्रार्थी की खातेदारी के सेढा पर है इसलिए भू– अभिलेख निरीक्षक गूंगा के मार्फत नेखंबदी करवाई जावे जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को कोई आपति नही है। हमने प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के	

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

– आदेश –

अतः प्रार्थी सुमार पुत्र अलूदा, जाति– मुसलमान नि0 तिबनियार तह0 गडरारोड़ का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीपुरा , पटवार मण्डल मुंगेरिया भु– अभिलेख निरीक्षक – शिव, तह0 शिव, के खसरा नम्बर 261 रकबा 148.04 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक गूंगा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/– रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंबदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :– 137/2019

क्रमांक/आवेदन/19/ 3145 दिनांक– 8/7/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
सुमार पुत्र अलूदा, जाति मुसलमान, नि0 तेबनियार, तह0 गडरारोड़		सिला पुत्र सफी वगैरा (16)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी एवं विप्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण मे ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का मुंगेरिया, भु– अभिलेख निरीक्षक – शिव के खेत खसरा नम्बर 261 रकबा 148.04 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक गूंगा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर शुल्क 1000/– मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थी के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/ 3146–3151 दिनांक– 8/7/19

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक मूंगेरिया को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी मूंगेरिया को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी सुमार पुत्र अलूदा को सूचनार्थ ।
6. विप्रार्थीगण सिला पुत्र सफी वगैरा (16) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 17:42:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: